

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प .....

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....गोपीलाल खन्ना.....  
 व भूअ.नि. कुंवारिया..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेवमजरा...../नायब  
 तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोपीलाल..... तहसील रेवमजरा..... व  
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2023..... में खाता संख्या 200..... में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :- कास्तकार -> गोपीलाल खन्ना मेरा कुमानर हिस्सा 116

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गोपीलाल	200	SBBJ शाखा कुंवारिया	SBI शाखा कुंवारिया

5  
 सहायक निम्न अधिकारी  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक:- राजस/2025/10  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3/10/25

1. तहसीलदार रेवमजरा..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

3  
 सहायक निम्न अधिकारी  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....